रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937
No. 372] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 463(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त धारा की उप-धारा (2) के अनुसरण में, तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 के अधीन जारी अधिसूचनाओं को सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, लोकहित में निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जैसा कि सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, किसी सरकारी कंपनी पर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगें या लागू नहीं होगें, अर्थात् :-

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 में अध्याय संख्या/धारा/उपधाराएं	अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1	अध्याय-2, धारा 4	धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में "किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दशा में "लिमिटेड" अंतिम शब्द के साथ या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दशा में प्राइवेट कंपनी की दशा में "प्राइवेट लिमिटेड" अंतिम शब्दों के साथ" शब्दों के स्थान पर ' "लिमिटेड" अंतिम शब्दों के साथ' शब्द रखे जाएंगे।
2	अध्याय-4, धारा 56	उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :- परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध, जहां तक ये अंतरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से अथवा अंतरिती द्वारा या उसकी ओर से सम्यक रूप से स्टांपित और निष्पादित की जाने वाली, अंतरण की किसी समुचित लिखत की अपेक्षा

		करते हैं, किसी सरकारी कंपनी द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों के संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जब अंतरिती अपना नाम, पता और व्यवसाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना, बंधपत्र से संबंधित प्रणाण पत्र के साथ कंपनी को परिदत्त की गई हो; और यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र विद्यमान नहीं है, तो बंधपत्र आवंटन पत्र के साथ प्रस्तुत की हो; परंतु यह भी कि इस उपधारा के उपबंध सरकार के नाम-निर्देशिति द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।
3	अध्याय-7, धारा 89	लागू नहीं होगी।
4	अध्याय-7, धारा 90	लागू नहीं होगी।
5	अध्याय-7, धारा 96 की उपधारा (2)	उपधारा (2) में, "उस शहर, नगर अथवा ग्राम के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के भीतर "किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा", शब्दों के स्थान पर "ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे" शब्द रखे जाएंगे।
6	अध्याय-8, धारा 123 की उपधारा (1) का दूसरा परंतुक	किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
7	अध्याय-8, धारा 123 की उपधारा (4)	किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
8	अध्याय-9, धारा 129	रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों पर लेखांकन मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के लागू होने की सीमा तक लागू नहीं होगी।
9	अध्याय-9, धारा 134 की उपधारा (3) का खंड (ड.)	लागू नहीं होगी।
10	अध्याय-9, धारा 134 की उपधारा (3) का खंड (त)	उस दशा में लागू नहीं होगी जब, यथास्थिति, किसी कंपनी के प्रशासनिक प्रभार वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग या राज्य सरकार द्वारा, अपने मूल्यांकन के तरीके के अनुसार, निदेशकों को मूल्यांकित किया गया हो।
11	अध्याय-11, धारा 149 की उपधारा (1)(ख) और 149 की उपधारा (1) का पहला परंतुक	लागू नहीं होगी।
12	अध्याय-11, धारा 149 की उपधारा (6) का खंड (क)	धारा 149 की उपधारा (6) के खंड (क) में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "यथास्थिति कंपनी के प्रशासनिक प्रभार वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग या राज्य सरकार," शब्द रखे जाएंगे।
13	अध्याय-11, धारा 149 की उपधारा (6) का खंड (ग)	लागू नहीं होगी।
14	अध्याय-11, धारा 152 की उपधारा (5)	ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां ऐसे निदेशक की नियुक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार, द्वारा की गई हो।
15	अध्याय-11, धारा 152 की उपधारा (6) और उपधारा (7)	जो - (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो;

		(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो, पर लागू नहीं होगी।
16	अध्याय-11, धारा 160	निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :- (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो।
17	अध्याय-11, धारा 162	जो - (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो । उपर लागू नहीं होगी ।
18	अध्याय-11, धारा 163	जो - (क) किसी ऐसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो; (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी की कोई अनुषंगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी उस सरकारी कंपनी द्वारा धारण की गई हो। उपर लागू नहीं होगी ।
19	अध्याय-11, धारा 164 की उपधारा (2)	लागू नहीं होगी।
20	अध्याय-11, धारा 170	ऐसी किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
21	अध्याय-11, धारा 171	ऐसी किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण समादत्त शेयरपूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की गई हो।
22	अध्याय-12, धारा 177 की उपधारा (4) का खंड (1)	धारा 177, उपधारा (4) के खंड (1) में, "नियुक्ति की सिफारिश, उनका पारिश्रमिक और विनियोजन के निबंधन" शब्दों के स्थान पर "पारिश्रमिक की सिफारिश" शब्द रखे जाएंगे।
23	अध्याय-12, धारा 178 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4)	सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी सिवाय 'ज्येष्ठ प्रबंधन' और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में।
24	अध्याय-12, धारा 185	किसी सरकारी कंपनी को लागू नहीं होगी यदि उस कंपनी ने उस धारा के अधीन कोई ऋण देने अथवा कोई प्रत्याभूति देने अथवा प्रतिभूति उपलब्ध कराने से पूर्व यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्रालय अथवा विभाग का जो प्रशासनिक रूप से भारधारक है अथवा राज्य सरकार, का अनुमोदन अभिप्राप्त किया है।